भारत सरकार / Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग / Department of Atomic Energy
परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केन्द्र / Variable Energy Cyclotron Centre

1/एएफ., बिधान नगर, कोलकाता-700064
1/AF Bidhan Nagar, Kolkata-700064

सं/Ref:वीईसीसी/VECC/प्रशा/Adm/सीएचएसएस/CHSS/2013/1689 May 23, 2013

परिपत्र / CIRCULAR

विषय : सीएचएसएस, कोलकाता के अंतर्गत फोर्टिस हॉस्पिटल, कोलकाता को अतिविशिष्ट अस्पताल के रूप में मान्यता दिया जाना।

Sub : Recognition of Fortis Hospital, Kolkata as Superspeciality Hospital under CHSS, Kolkata

---

सूचित किया जाता है कि **फोर्टिस हॉस्पिटल लिमिटेड, #730, आनन्दपुर, ई.एम. बाईपास रोड, कोलकाता - 700 107 (फोन नं. : 033-6628-4444)** को तात्कालिक प्रभाव से नीचे उल्लेख किये गये प्रक्रिया के अनुसार आउटडोर तथा इन्डोर चिकित्सा के लिए सीएचएसएस, कोलकाता के अंतर्गत आनेवाले अतिविशिष्ट अस्पतालों की सूची में शामिल किया गया है।

This is to notify that the Fortis Hospitals Limited, #730, Anandapur, EM Bypass Road, Kolkata- 700 107 (Phone: 033-6628-4444) has been included in the list of Superspeciality Hospitals under CHSS, Kolkata for Outdoor and Indoor treatment with immediate effect as per the procedure mentioned below.

1. सीएचएसएस लाभार्थी चिकित्सा अधिकारी, वीईसीसी या सीएचएसएस,कोलकाता के अंतर्गत मुख्य (Base) अस्पताल (अर्थात मिशन ऑफ मर्शी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर, कोलकाता) द्वारा भेजे जाने पर ही फोर्टिस हॉस्पिटल में क्रेडिट आधार पर आउटडोर तथा इन्डोर चिकित्सीय उपचार का लाभ उठा सकेंगे।

CHSS beneficiaries will be able to avail of both Outdoor and Indoor medical treatment from Fortis Hospital on credit basis only when referred by Medical Officer, VECC or Base Hospital under CHSS, Kolkata (i.e., Mission of Mercy Hospital & Research Centre, Kolkata).

2. अगर लाभार्थी बिना रेफरल पत्र के फोर्टिस हॉस्पिटल में मेडिकल चिकित्सा के लिए जाते हैं तो वे क्रेडिट आधार पर चिकित्सा के हकदार नहीं होगें। बिना रेफरल पत्र के फोर्टिस हॉस्पिटल में मेडिकल चिकित्सा के लिए लाभार्थी सीएचएसएस कार्ड दिखाने पर ही निम्नलिखित के आधार पर चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर पायेंगे :

A beneficiary will not be eligible for medical treatment on credit basis, in case the beneficiary visits Fortis Hospital without a referral letter. A beneficiary who visits Fortis Hospital without a referral letter will be able to avail treatment in accordance with the following only on production of CHSS Card :

a) ओपीडी वास्तविक परामर्श फीस / OPD Consultation fees at actual
b) ओपीडी इन्वेस्टिगेशन चार्ज पर 15% की छूट / A discount of 15% on OPD Investigation charges.
c) अस्पताल के रेट पर इंडोर मेडिकल चिकित्सा / Indoor medical treatment at hospital rates.

3. फोर्टिस हॉस्पिटल में पंजीकरण के लिए लाभार्थी पंजीकरण पटल पर वैध सीएचएसएस कार्ड तथा मूल रेफरल पत्र प्रस्तुत करेंगे। पंजीकरण के उपरांत, उक्त अस्पताल मूल रेफरल पत्र रख लेगा और सीएचएसएस कार्ड लाभार्थियों को लौटा देगा।

During visit to Fortis Hospital, beneficiaries shall produce valid CHSS Card and original Referral letter at the Registration Counter for the purpose of registration. After registration, the Hospital will retain the original Referral letter and return the CHSS Card to the beneficiaries.

4. फोर्टिस हॉस्पिटल में पंजीकरण के लिए रेफरल पत्र जारी होने की तारीख से 7 कार्य दिवसों की अवधि के लिए वैध रहेगा। एक बीमारी के लिए आउटडोर में उपचार अवधि 3 महीने या 6 परामर्शो , जो भी पहले हो, तक ही सीमित रहेगी। फिर भी, यदि कोई ओपीडी डाक्टर किसी लाभार्थी को एक वर्ग से दूसरे वर्ग के लिए रेफर करता है तो लाभार्थी को अगला उपचार कराने की भी अनुमति होगी। तथापि, उपचार अवधि की सीमा तथा परामर्शो की संख्या पर रोक लागू रहेंगे।

For the purpose of registration at the Fortis Hospital, referral letter shall remain valid for a period of seven working days from the date of its issue. For a particular ailment, duration of treatment in Outdoor will be limited to three months or six consultations, whichever is earlier. If, however, an OPD doctor refers a beneficiary from one discipline to another discipline, the beneficiary will be allowed to take further treatment. However, limitation of period of treatment and restriction of number of consultations will still apply.

5. आउटडोर चिकित्सा के लिए फोर्टिस हॉस्पिटल द्वारा लाभार्थियों को क्रेडिट आधार पर कोई दवा नही दी जायेगी। फिर भी, दवा खरीदने के बाद प्रस्तुत दावे की प्रतिपूर्ति इस केन्द्र द्वारा मौजूदा नियमों के अनुसार की जायेगी। इन्डोर चिकित्सा के लिए क्रेडिट आधार पर लाभार्थियों को दवा दी जायेगी।
For outdoor treatment, no medicines will be provided to the beneficiaries by the Fortis Hospital on credit basis. However, claims submitted in this Centre after purchase of medicines will be reimbursed as per the extant rules. In case of indoor treatment, medicines will be supplied to the beneficiaries on credit basis.

6. आवश्यकता पड़ने पर, विशेष नर्स/आया/विशेष एटेन्डेन्ट की व्यवस्था लाभार्थियों को अपने खर्च पर खुद करनी होगी ।

Special Nurse/Aya/Special Attendant, wherever needed, shall be arranged by the beneficiaries at their own cost.

7. फोर्टिस हॉस्पिटल में शय्या हकदारी इस प्रकार से है :
Entitlement of bed in Fortis Hospital is as follows :

वर्ग/Category (सीएचएसएस कार्ड में यथावर्णित) (as indicated in CHSS Card)	शय्या हकदारी/Entitlement of Accommodation
I तथा I(आर) I and I(R)*	**प्राईवेट वार्ड** Private Ward.
II तथा II(आर) II and II(R)*	**दो शय्या वाला वार्ड** Two bedded Ward
III तथा III(आर) III and III(R)*	**चार शय्या वाला वार्ड** Four bedded Ward.

* R- Retired

सभी सीएचएसएस लाभार्थियों से आग्रोध है कि ऊपर वर्णित क्रियाविधियों का कड़ाई से पालन करें तथा इस मामले में सहयोग करें ।

All CHSS beneficiaries are requested to strictly follow the above procedure and cooperate in the matter.

(ए. बनर्जी / A. Banerjee)
प्रशासनिक अधिकारी-III/Administrative Officer-III

सभी सूचाा पट्ट /All Notice Boards

प्रतिलिपि:/Copy

1. निदेशक, वीईसीसी, कोलकाता ।
2. निदेशक का कार्यालय, वीईसीसी, कोलकाता
3. सह निदेशक (त्वरक), वीईसीसी, कोलकाता ।
4. अध्यक्ष, सीएचएसएस समिति, वीईसीसी, कोलकाता ।
5. सभी वर्ग प्रमुख, वीईसीसी, कोलकाता ।
6. वीईसीसी, कोलकाता में स्थापित डीएई के अन्य इकाईयों के वर्ग प्रमुख।
7. प्रमुख, चिकित्सा अनुभाग, वीईसीसी कोलकाता ।
8. उप लेखा नियंत्रक, वीईसीसी, कोलकाता ।
9. मुख्य सुरक्षा अधिकारी, वीईसीसी, कोलकाता।
10. सम्पर्क कार्यालय, एएमडी (ईआर), कोलकाता।
11. प्रमुख, सीई, एनपीसीआईएल, कोलकाता एकक
12. क्रय अधिकारी, सीआरपीयू, कोलकाता ।
13. सहा. निदेशक (राभा), वीईसीसी, कोलकाता।
14. सचिव, वीईसीसी, कर्मचारी संगठन ।
15. सीएचएसएस, कोलकाता के अंतर्गत आने वाले सभी सेवानिवृत्त कर्मचारीगण।